



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

तिनि४ - १२६८ - I/१६

विविध प्र०क०

— एक / 2016 जिला — जबलपुर

आवेदक

शेखर प्रसाद कोल पिता स्व. श्री हरीसिंह कोल
निवासी गाम सालीवाड़ा तहसील
व जिला जबलपुर

विरुद्ध

श्रीमती महेन्द्र कौर अठवाल पत्नि
को स्व. श्री जितेन्द्र सिंह अठवाल
निवासी चौथा मील मण्डला रोड तिलहरी
तहसील व जिला जबलपुर
म०प्र० शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर

— अनावेदकगण

विविध आवेदन अंतर्गत धारा 32 म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959
(इस न्यायालय द्वारा प्र०क० निग० 1993-एक / 16 में पारित
आदेश दिनांक 24-6-16 द्वारा दी गई अनुमति की शर्त क्रमांक 3
में वृद्धि बावत)

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि —

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्रमांक 1993-एक / 16 में दिनांक 24-6-16 को आदेश पारित करते हुए आवेदकों को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है।
2. यहकि, आदेश की शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह का समय विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दिया गया है।

५४

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, बालियर

प्रकरण क्रमांक विविच 9268-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-2016	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री डी०के० शुक्ला उपस्थित उभयपक्षों के तर्क सुने गये आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 1993-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 24-6-16 द्वारा आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक कई बार उप पंजीयक के समक्ष विक्रयपत्र के पंजीयन कराने हेतु उपस्थित हुए परंतु उप पंजीयक द्वारा कहा गया कि जब तक केता द्वारा बाजार मूल्य की राशि की दुगनी राशि अदा करने पर ही विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा उक्त कारण से अभी तक विक्रयपत्र का पंजीयन प्रस्तावित केता के पक्ष में नहीं कराया जा सका है और और उक्त अवधि समाप्त हो गई है उनके द्वारा 4 माह का समय विक्रयपत्र का पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का अनुरोध किया गया विचारोपणांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा प्र०क० 1993-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 24-6-16 में विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई अवधि को आज दिनांक से 4 माह और बढ़ाया जाता है उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है दाखिल रिकार्ड ही </p> <p style="text-align: right;">DSW 5-12-16</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: left;"></p>	